न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 81/2021

शीर्षक

1. सुरेश कुमार अग्रवाल पुत्र बनवरी लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. अशोक पुत्र छीतरमल
2. जगदीश पुत्र रामेश्वर दयाल
3. प्रभाती पत्नी हनुमान सहाय
4. बंशीधर } पुत्रान हनुमान सहाय
5. मालीराम } पुत्रान हनुमान सहाय
6. मीरा पुत्री हनुमान सहाय
7. राकेश पुत्र रामेश्वर दयाल
8. रामोतार } पुत्रान छीतरमल
9. लक्ष्मण } पुत्रान छीतरमल
10. विमला पुत्री हनुमान सहाय
11. सज्या पत्नी छीतरमल
12. सुरजमल पुत्र रामेश्वर दयाल

समस्ता जाति खाती निवासी मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

13. रामसिंह } पुत्रान हनुमान सहाय
14. रामवतार } पुत्रान हनुमान सहाय
15. शिम्भूदयाल } पुत्रान हनुमान सहाय

समस्त जाति जाट निवासी छारसा तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

16. हनुमान सहाय पुत्र सुजा जति गुर्जर निवासी सिरोही तह0 आमेर जिला जयपुर
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 18-7-2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल ख0 नं0 8974/1434/0.0412 है0 भूमि वाकै ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है।

2. यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मनबट बंटवारा के आधार पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हें ताि आज भी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है।

3. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है शामलाती में काश्त करते आ रहे है। सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे है। उन्होने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है तथा वे वादीगण को उनके कब्जे व काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने लग गये है एवं आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा कराये ही वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी के विशिष्ट भू–भाग में निर्माण कार्य करने पर आमादा है तथा आराजी मुतनाजा को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है। जिसका उनहे कोई हक अधिकार नहीं है।

5. यह कि प्रतिवादीगण अपने अवैध मनसूबे में सफल हो गये और उन्होने वाद पत्र के जिमन नं0 1 वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा पर पुख्ता निर्माण कर लिया या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भूभाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर जबरन अजनबी व्यक्ति का आराजी के विशिष्ट भूभाग पर कब्जा करवा देगे तो इससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनरराशि के रूप में नही की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्क रूप में मुकदमें

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

बाजी बढेगी इस कारण वादीगणर को प्रतिवादीगण के विरूद्व उक्त वादी आराजी के बंटवारे का एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

6.(क) अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी ख0 नं0 8974 / 1434 / 0.0412 है0 भूमि वाकै ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है। भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 16 के मध्य सरस नरस व राजस्व नियमावली के मुताबिक खातेदार काश्तकारों द्वारा पूर्व में किये गये मनबट बंटवारे के आधार पर वाद पत्र कं संलग्न मनबट बंटवारा सूची व नजरी नक्शे व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर व खातेदारों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बटंवारा किया जाकर उक्त बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादीगण को उसके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा करवाया जावें।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 16 को जरिये स्थायी निषोधाज्ञा से पाबनद किया जावे कि वे वादीगण के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं करे आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भूभाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादीगण बाद तामील कोई उपस्थित नहीं इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी दिनांक 20.10.2021 को प्रकरण को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवायी गयी।

दिनांक 06.04.2022 को प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बंटवारा कुर्रेजात पर वकीलवादीगण को सुना गया। वकीलवादीगण ने बंटवारा कुर्रेजात अनुसार वादपत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी हाल ख0 नं0 8974 / 1434 / 0.0412 है0 भूमि वाकै ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. प्रतिवादी सं0 11, 1, 8, 9 का हिस्सा 136 / 412 के आराजी ख0 न0 8974 / 1434 / 1 रकबा 0.0136 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

2. प्रतिवादी सं0 2, 7, 12 का हिस्सा 138 / 412 के आराजी ख0 न0 8974 / 1434 / 2 रकबा 0.0138 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

3. प्रतिवादी सं0 13, 14, 15 का हिस्सा 30 / 77 व प्रतिवादी सं0 3 हिस्सा 13 / 77, प्रतिवादी सं0 5 हिस्सा 17 / 77, प्रतिवादी सं0 10 हिस्सा 17 / 77 के आराजी ख0 न0 8974 / 1434 / 3 रकबा 0.0077 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

4. वादी हिस्सा 13 / 46, प्रतिवादी सं0 4 हिस्सा 10 / 46, प्रतिवादी सं0 6 हिस्सा 20 / 46 के आराजी ख0 न0 8974 / 1434 / 4 रकबा 0.0033 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

5. प्रतिवादी सं0 16 हिस्सा 15 / 28, प्रतिवादी सं0 6 हिस्सा 13 / 28 के आराजी ख0 न0 8974 / 1434 / 5 रकबा 0.0028 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण / प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-7-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 81/2021

शीर्षक

1. सुरेश कुमार अग्रवाल पुत्र बनवरी लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. अशोक पुत्र छीतरमल
2. जगदीश पुत्र रामेश्वर दयाल
3. प्रभाती पत्नी हनुमान सहाय
4. बंशीधर } पुत्रान हनुमान सहाय
5. मालीराम }
6. मीरा पुत्री हनुमान सहाय
7. राकेश पुत्र रामेश्वर दयाल
8. रामोतार } पुत्रान छीतरमल
9. लक्ष्मण }
10. विमला पुत्री हनुमान सहाय
11. सज्या पत्नी छीतरमल
12. सुरजमल पुत्र रामेश्वर दयाल

समस्ता जाति खाती निवासी मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

13 रामसिंह } पुत्रान हनुमान सहाय
14. रामवतार }
15. शिम्भूदयाल }

समस्त जाति जाट निवासी छारसा तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

16. हनुमान सहाय पुत्र सुजा जति गुर्जर निवासी सिरोही तह0 आमेर जिला जयपुर
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 18-7-22

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी हाल ख0 नं0 8974/1434/0.0412 है0 भूमि वाकै ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. प्रतिवादी सं0 11, 1, 8, 9 का हिस्सा 136/412 के आराजी ख0 न0 8974/1434/1 रकबा 0.0136 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
2. प्रतिवादी सं0 2, 7, 12 का हिस्सा 138/412 के आराजी ख0 न0 8974/1434/2 रकबा 0.0138 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. प्रतिवादी सं0 13, 14, 15 का हिस्सा 30/77 व प्रतिवादी सं0 3 हिस्सा 13/77, प्रतिवादी सं0 5 हिस्सा 17/77, प्रतिवादी सं0 10 हिस्सा 17/77 के आराजी ख0 न0 8974/1434/3 रकबा 0.0077 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
4. वादी हिस्सा 13/46, प्रतिवादी सं0 4 हिस्सा 10/46, प्रतिवादी सं0 6 हिस्सा 20/46 के आराजी ख0 न0 8974/1434/4 रकबा 0.0033 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि... जयपुर) राज.

5. प्रतिवादी सं0 16 हिस्सा 15/28, प्रतिवादी सं0 6 हिस्सा 13/28 के आराजी ख0 न0 8974/1434/5 रकबा 0.0028 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 18-7-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला-जयपुर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	